परिपत्र संख्याःडीजी-09/2012

अतुल
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः फरवरी04, 2012

प्रिय महोदय,

संज्ञान में यह बात आयी है कि कतिपय परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षकों, जनपदीय पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अभियुक्त पक्ष के अनुरोध पर विवेचनाओं का स्थानान्तरण किया गया है जब कि इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं।

2. विवेचनाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के पार्श्वांकित परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं जिसमें मुख्य रूप से आरोपी पक्ष के अनुरोध पर **साधरणतया** विवेचनायें स्थानान्तरित न किये जाने, विवेचना स्थानान्तरण का **मुखरित आदेश** किये जाने, ऐसे आदेशों से मुख्यालय/परिक्षेत्रीय कार्यालय को **अवगत** कराने, स्थानान्तरित विवेचनाओं का निकट पर्यवेक्षण में **समयबद्ध निस्तारण** सुनिश्चित कराने के निर्देश हैं।

परिपत्र संख्याः डीजी-54/05 दि0 23.12.2005
परिपत्र संख्याः डीजी-15/06 दि0 06.05.2006
परिपत्र संख्याः डीजी-32/06 दि0 08.09.2006
परिपत्र संख्याः डीजी-85/07 दि0 26.09.2007
परिपत्र संख्याः डीजी-64/08 दि0 19.06.2008
परिपत्र संख्याः विशेष डीजी-03/11 दि0 03.05.11
टास्क आर्डरः डीजी-7-एचसी(3)/11 दि0 18.05.11

3. अभियुक्त पक्ष के आवेदन पर विवेचना का स्थानान्तरण मुख्यालय के निर्देशों के अन्तर्गत अत्यन्त विशेष स्थिति में ही अनुमन्य है। ऐसे आदेश में कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा इसकी सूचना परिपत्र संख्या-एसडीजी-03/2011 एवं पत्र संख्या डीजी-सात-एचसी(3)/2011 दिनांक 18.5.2011 के अनुरूप सम्बन्धित अधिकारियों को दी जानी चाहिए।

4. आप सहमत होंगे कि पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में आपका प्रथम दायित्व विवेचनाओं का सही निस्तारण सुनिश्चित कराना है। विवेचनाओं के बार-बार स्थानान्तरण से इनके निस्तारण में समय लगने, अनेक विवादों के जन्म लेने तथा विवेचकों द्वारा मनमाने ढंग से विवेचना किये जाने की प्रवृत्ति को बल मिलता है।

5. अतएव इस पत्र के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि विवेचनाओं के स्थानान्तरण के प्रकरणों में पूर्व निर्गत निर्देशों का विशेष ध्यान रखा जाए जिनमें मुख्य निम्न है :-

- केवल जनपदीय पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा ही विवेचना स्थानान्तरण का आदेश किया जाना।

- ऐसे आदेशों का मुखरित होना।
- इसकी सूचना परिक्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करना।
- पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना की समीक्षा एवं कमियों का संज्ञान लेना।
- राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं के अतिरिक्त अन्य विवेचनाओं को केवल एस0आई0एस0 को स्थानान्तरित किया जाना।
- ऐसे स्थानान्तरण आदेश का केवल एक बार किया जाना।
- स्थानान्तरित विवेचनाओं का गुणवत्त, समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाना।
- अपरिहार्य स्थिति में उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा केवल एक बार विवेचनाओं का स्थानान्तरण किया जाना तथा इसकी सूचना पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय को प्रेषित किया जाना।

भवदीय,

4.2.

(अतुल)

समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0 (नाम से)।

प्रतिलिपि-समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश को तदनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।